न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 135/2023 निर्णय दिनांक :–03.01.2024

उनवानी दावाः–

राधेश्याम पुत्र चांदमल जाति सोनी स्वर्णकार उम्र बालिग निवासी 31, पावविहार न्यू अहिंसा पुरी फतेहपुरा उदयपुर जिला उदयपुर राज0

–वादी–

बनाम

1. न्याली पत्नि रामराज जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी संग्रामपुरा हाल निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी, ज्योती कॉलोनी के पीछे देवली तहसील जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादीगण

रामनिवास तुनगारिया
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1

दावा बंटवारा आराजीयात

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। पत्रावली मान. न्यायालय आर.ए.ए टोंक से क्रमांक/आर.ए.ए/टोंक/2021/335 दिनांक 11.07.23 से इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 को अपास्त किया जाते है और न्यायालय हाजा की प्राथमिक डिक्री व उसकी अनुपालना में प्राप्त तकासमा रिपोर्ट को यथावत रखते हुए केवल अन्तिम डिक्री की हद तक दोनो पक्षो को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तारीख पेशी दिनांक 03.08.23 को पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश जैन व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रामनिवास तुनगारिया उपस्थित हुए।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में पूर्व में जारी अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2021 को कानून सम्मत व नियमानुसार बताया तथा कथन किया कि माननीय न्यायालय आर. ए. ए द्वारा तहसीलदार देवली से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना मे प्राप्त तकासमा रिपोर्ट को यथावत रखते हुए निर्णय करने हेतु विचारणीय न्यायायल को निर्देशित किया है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रेषित तकासमा रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 के अनुसार ही अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में जारी अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2021 में तहसीलदार देवली द्वारा कब्जा अनुसार रिपोर्ट तैयार नही की गई है। प्रतिवादी नं. 1 का जहां पर कब्जा काश्त है वहां पर नक्शा ट्रेस में उसका हिस्सा नहीं बताया गया है। जो भूमि वर्तमान में बहुत ज्यादा कीमती है उस हिस्से को वादी ने मिलीभगत कर वादी को दे दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 के तामिल के नोटिस भी कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट

तैयार की गई है, जो धारा 53 आर.टी. ए व न्यायिक नियमो के विरूद्ध है। अतः पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तेयार कर मंगवाई जावे।

अधिवक्ता वादी ने अपनी रिब्टल बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक द्वारा विचारणीय न्यायालय को तहसीलदार द्वारा प्रेषित तकासमा रिपोर्ट को यथावत रखते हुए अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट नियमानुरूप है। तहसीलदार ने मौके पर जाकर गवाहान के समक्ष रिपोर्ट तैयार की है जो कब्जेअनुसार ही तैयार की गई है।

पत्रावली व माननीय न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। माननीय न्यायालय में निर्देश है कि न्यायालय हाजा की प्राथमिक डिकी व उसकी अनुपालना से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट को यथावत रखते हुए दोनो पक्षो को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने पत्रावली में संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 पर अपनी बहस में आपति पेश की है कि पूर्व में जारी प्राथमिक निर्णय व डिकी में भी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है और कुर्रेजात रिपोर्ट के समय भी प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रही है।

पत्रावली में संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 का भी पुनः अवलोकन किया गया। जिसमें उपस्थित गवाहान व वादी के हस्ताक्षर से यह स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है तथा वादी व प्रतिवादीगण को रकबा भी रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही दिया गया है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिकी आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है, जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार ही है।

चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा को प्राथमिक डिकी व उसकी अनुपालना में प्राप्त तकासमा रिपोर्ट को यथावत रखते हुए केवल अन्तिम डिकी की हद तक ही दोनो पक्षो का पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अतः पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का बीजवाड़ भू. अभि. नि. क्षेत्र मालेड़ा के हाल खाता संख्या 21 में दर्ज ख. नं. 9 रकबा 0.49 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.49 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 के अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार हैः–

ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का बीजवाड़ भू. अभि. क्षैत्र मालेड़ा में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	राधेश्याम पुत्र चान्दमल सोनी स्वर्णकार नि0 31, पाउ विहार,न्यू अहिंसापुरा फतेहपुरा उदयपुर खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	486/9	0.32	1.28
	योग	किता–1	0.32	1.28
2	न्याली पत्नी रामराज जाति कुमावत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	487/9	0.17	0.68
	योग	किता–1	0.17	0.68

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

संलग्न :– तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिकी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावाः—

राधेश्याम पुत्र चांदमल जाति सोनी स्वर्णकार उम्र बालिग निवासी 31, पाववि‍हार न्यू अहिंसा पुरी फतेहपुरा उदयपुर जिला उदयपुर राज0

—वादी—

बनाम

1. न्याली पत्नि रामराज जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी संग्रामपुरा हाल निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी, ज्योती कॉलोनी के पीछे देवली तहसील जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>मुकदमा नं. 135 सन् 2023</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन गुद्दई रूबरू श्री रामनिवास **तुनगारिया** विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2074—777 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का बीजवाड़ भू. अभि. नि. क्षैत्र मालेड़ा के हाल खाता संख्या 21 में दर्ज ख. नं. 9 रकबा 0.49 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.49 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार हैः—

ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का बीजवाड़ भू. अभि. क्षैत्र मालेड़ा में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगाः—

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	राधेश्याम पुत्र चान्दमल सोनी स्वर्णकार नि0 31, पाउ विहार,न्यू अहिंसापुरा फतेहपुरा उदयपुर खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	486 / 9	0.32	1.28
	योग	किता—1	0.32	1.28
2	न्याली पत्नी रामराज जाति कुमावत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	487 / 9	0.17	0.68
	योग	किता—1	0.17	0.68

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाता है ।

संलग्न :— तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....
................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 01 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....03/1/24..............
ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)..............

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।